न्यायालय राजस्व अपील प्रांधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/31

1. मेघवाहन शर्मा आत्मज श्री शिवराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नित्यानन्द जी वैद्य की गली बालचन्द पाडा बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. इन्द्रा शर्मा पत्नी स्व0 श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नित्यानन्द जी वैद्य की गली बालचन्द पाडा बून्दी ।
   1/2. विनिता शर्मा पुत्री श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 60 देहली गेट के अन्दर उदयपुर ।
   1/3. नितिन शर्मा आत्मज श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   1/4. निखिल शर्मा आत्मज श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   1/5. निशान्त शर्मा आत्मज श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीगण नित्यानन्द जी वैद्य की गली बालचन्द पाडा बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रघुनन्दन शर्मा आत्मज श्री शिवराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बालचन्द पाडा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती रक्षा शर्मा बेवा श्री रघुनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   1/2. अभिजीत शर्मा आत्मज श्री रघुनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   1/3. इक्षवाकू शर्मा आत्मज श्री रघुनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीगण सूरज जी के बड के पास बालचन्द पाडा बून्दी ।
   1/4. अस्मिता भट्ट पत्नी श्री हिमांशु भट्ट पुत्री श्री रघुनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण निवीस सी– 439 विवेकानन्द कॉलोनी उज्जैन हाल बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बून्दी ।
3. उप पंजीयक उप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. नरेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष आत्मज श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/4 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 11.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1641 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 रघुनन्दन सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है । वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई हैं । वादी का भाई प्रतिवादी संख्या 01 भारतीय सेना में सेवारत थे वहॉ से सेवा छोडकर आ गये थे तथा बेरोजगार हो गये थे । वादी ने प्रतिवादी को बेरोजगार देख कर भाई स्नेह के कारण अपने खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 07 बीघा व खसरा नम्बर 452 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी को उनके जीवनयापन के लिये दे दी कि वह कृषि उपज से अपना निर्वाह करे और भूमि पर वादी का खातेदारी हक यथावत बना रहेगा । वादी एवं प्रतिवादी कम 01 मध्य पारिवारिक समझौता था कि प्रतिवादी कम 01 उक्त भूमि पर अपना भरण–पोषण करेगा किन्तु भूमि को कभी भी विकय नहीं करेगा । यदि प्रतिवादी उक्त भूमि को विकय करेगा तो वादी को भूमि प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार से वापस लेने का अधिकार होगा । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी कम 01 का परमिजिव पजेशन था । प्रतिवादी को उक्त भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थे । प्रतिवादी कम 01 के मन में बदनियति आ गई उसने वादी की अनभिज्ञता में वादग्रस्त आराजी में से 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि विकय कर दी जिसका उन्हें अधिकार नहीं था ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी कम 01 द्वारा पारिवारिक समझौते के उल्लंघन किये जाने के कारण वादी के पूर्व एवं वास्तविक खातेदार वादी को ग्राम सुवांसा की आराजी खसरा नम्बर 1641 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 01 का नाम विलोपित कर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की भूमि पर उनके वास्तविक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें न ही उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 02 व 03 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 04 तनकी कायम की जिनमें से तनकी नं0 01 वादी के जिम्मे थी तथा तनकी नम्बर 2 लगायत 4 प्रतिवादी के जिम्मे थी ।

6. परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा तनकी नम्बर 02 पर बहस की गई ।

7. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

8. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व

में वादी अपीलान्ट मृतक मेघवाहन के खातेदारी में दर्ज थी उनसे पूर्व उक्त भूमि खसरा नम्बर 1641 श्री लक्ष्मण लाल आत्मज स्व0 श्री मांगीलाल के नाम दर्ज थी । लक्ष्मण जी ने उक्त ग्राम सुवांसा की सम्पूर्ण भूमि वादी मेघवाहन के खाते न्यायालय द्वारा लगवाई । खसरा महकमा बन्दोबस्त सन् 1934–35 में उक्त भूमि लक्ष्मणलाल जी को जो वादी मेघवाहन के ताउजी थे के नाम दर्ज है । ग्राम सुवांसा की कृषि भूमि पैतृक नहीं है । वादी ने प्रतिवादी को बेरोजगार देखकर भाई के स्नेह के कारण अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 07 बीघा व खसरा नम्बर 452 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी को उसके जीवनयापन के लिये दी थी । उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय दिनांक 19.11.1970 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 13/सीलिंग/98 उनवान मेघवाहन शर्मा बनाम स्टेट दायर किया जिसका निर्णय दिनिांक 05.08.1998 को हुआ उक्त सीलिंग प्रकरण में ग्राम सुवांसा एंव ग्राम लाडपुर की कृषि भूमि वादी अपीलान्ट मृतक मेघवाहन के खाते दर्ज थी जिसमें भूमिधारी मेघवाहन शर्मा को ही एकमात्र भूमि का खातेदार कृषक माना था और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में प्रकरण संख्या 178/1970 निर्णय दिनांक 28.09.1970 को न होकर दिनांक 19.11.1970 को हुआ था । विचाराधीन वाद में हुए बंटवारे को गलत ठहराया था । परीक्षण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.12.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 13.12.2019 को नकल प्राप्त हुई तथा 11 व 12 जनवरी का सार्वजनिक अवकाश था । इस कारण से अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी मेघवाहन द्वारा एक वाद प्रतिवादी रघुनन्दन शर्मा व अन्य के विरूद्ध इस आशय का पेश किया गया था कि भूमि खसरा नम्बर 1641 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सुवांसा तहसील तालेडा में स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रसत आराजी प्रतिवादी कम 01 रघुनन्दन के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि मूल रूप से वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि थी । वादी का भाई प्रतिवादी कम 01 भारतीय सेना में सेवारत थे वहॉ से सेवा छोडकर आ गये थे । वादी ने प्रतिवादी को बेरोजगार देखकर भाई के स्नेह के कारण अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 07 बीघा एवं खसरा नम्बर 452 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी को उसके जीवनयापन के लिये दे दी थी । वादी एवं प्रतिवादी कम 01 के मध्य यह पारिवारिक समझौता था कि प्रतिवादी कम 01 भूमि से अपना भरण–पोषण करेगा किन्तु भूमि का कभी भी विकय नहीं करेगा । यदि प्रतिवादी भूमि का विकय करेगा तो वादी को भूमि प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार से वापस लेने का अधिकार होगा । प्रतिवादीगण कम 01 के मन में बदनियति आ गई उसने वादी की अनभिज्ञता में

प्रतिवादी संख्या 01 को दी गई कुल भूमि में से 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि विक्रय कर दी । अब प्रतिवादी शेष बची आराजी खसरा नम्बर 1641 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा को भी विक्रय करना चाहता है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी अपीलान्ट मृतक मेघवाहन के खातेदारी में दर्ज थी उनसे पूर्व उक्त भूमि खसरा नम्बर 1641 श्री लक्ष्मण लाल आत्मज स्व0 श्री मांगीलाल के नाम दर्ज थी । लक्ष्मण जी ने उक्त ग्राम सुवांसा की सम्पूर्ण भूमि वादी मेघवाहन के खाते न्यायालय द्वारा लगवाई । खसरा महकमा बन्दोबस्त सन् 1934–35 में उक्त भूमि लक्ष्मणलाल जी को जो वादी मेघवाहन के ताउजी थे के नाम दर्ज है । ग्राम सुवांसा की कृषि भूमि पैतृक नहीं है । वादी ने प्रतिवादी को बेरोजगार देखकर भाई के स्नेह के कारण अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 07 बीघा व खसरा नम्बर 452 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी को उसके जीवनयापन के लिये दी थी । उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय दिनांक 19.11.1970 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 13/सीलिंग/98 उनवान मेघवाहन शर्मा बनाम स्टेट दायर किया जिसका निर्णय दिनांक 05.08.1998 को हुआ उक्त सीलिंग प्रकरण में ग्राम सुवांसा एंव ग्राम लाडपुर की कृषि भूमि वादी अपीलान्ट मृतक मेघवाहन के खाते दर्ज थी जिसमें भूमिधारी मेघवाहन शर्मा को ही एकमात्र भूमि का खातेदार कृषक माना था और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में प्रकरण संख्या 176/1970 निर्णय दिनांक 19.11.1970 को हुए बंटवारे को गलत ठहराया था । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1967 (एससी) पेज 591, एआईआर (एससी) 1993 पेज 1929 उद्वरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व वाद संख्या 178/1970 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी का निर्णय दिनांक 28.09.1970 पक्षकार के मध्य पूर्व न्याय का प्रभाव रखता है । उक्त वाद में पक्षकारान के द्वारा राजीनामा पेश किया गया था जिसके आधार पर निर्णय पारित किया गया था । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1641 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी मेघवान के खातेदारी में दर्ज थी उससे पूर्व उक्त भूमि प्रतिवादी कम 01 के पिता शिवराम के खातेदारी में दर्ज थी । शिवराम जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि मेघवान के खातेदारी में दर्ज हो गई । प्रतिवादी संख्या 1 रघुनन्दन वादी मेघवान शर्मा का सगा भाई है । इस कारण उक्त भूमि पर जन्म से हक अधिकार निहित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 रघुनन्दन ने दिनांक 30.05.1970 को वादी के विरूद्ध एक वाद उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष वाद संख्या 178/1970 पेश किया जिसमें वादी ने उक्त भूमि को पैतृक सम्पत्ति स्वीकार करते हुए प्रतिवादी कम 01 रघुनन्दन को अपना भाई स्वीकार करते हुए उक्त भूमि में प्रतिवादी रघुनन्दन का हक अधिकार स्वीकार करते हुए दिनांक 28.08.1970 को इकबालिया जवाब एंव राजीनामा पेश किया जिसके आधार पर उक्त भूमि बंटवारे में प्रतिवादी कम 01 रघुनन्दन को दी गई । वादी अपीलान्ट मेघवान द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.1970 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा उनके निर्णय दिनांक 05.08.1998 को खारिज कर दी गई । इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, बून्दी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.1970 यथावत रहा है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है । वादी अपीलान्ट द्वारा अब 36 वर्ष बाद वादग्रस्त आराजी को लेकर न्यायालय के

समक्ष समान पक्षकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूव्र में ही पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय कर दिये हैं । वादी अपीलान्ट द्वारा पूर्व में इकबालिया जवाब एवं राजीनामा पेश किया था जिससे धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत वर्जित है । धारा 11 सीपीसी के तहत समान विषय एवं समान पक्षकारों के मध्य अधिकारों का निर्णय करने के पश्चात् उसी विषय पर पक्षकारों के मध्य अधिकारों का निर्धारण वर्जित है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1641 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 रघुनन्दन सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है । वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई हैं । वादी का भाई प्रतिवादी संख्या 01 भारतीय सेना में सेवारत थे वहॉ से सेवा छोडकर आ गये थे तथा बेरोजगार हो गये थे । वादी ने प्रतिवादी को बेरोजगार देख कर भाई स्नेह के कारण अपने खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 07 बीघा व खसरा नम्बर 452 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी को उनके जीवनयापन के लिये दे दी कि वह कृषि उपज से अपना निर्वाह करे और भूमि पर वादी का खातेदारी हक यथावत बना रहेगा । वादी एवं प्रतिवादी कम 01 मध्य पारिवारिक समझौता था कि प्रतिवादी कम 01 उक्त भूमि पर अपना भरण–पोषण करेगा किन्तु भूमि को कभी भी विकय नहीं करेगा । यदि प्रतिवादी उक्त भूमि को विकय करेगा तो वादी को भूमि प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार से वापस लेने का अधिकार होगा ।

15. वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व वाद संख्या 178/1970 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी का निर्णय दिनांक 28.09.1970 पक्षकार के मध्य पूर्व न्याय का प्रभाव रखता है । उक्त वाद में पक्षकारान के द्वारा राजीनामा पेश किया गया था जिसके आधार पर निर्णय पारित किया गया था । प्रतिवादी संख्या 1 रघुनन्दन वादी मेघवान शर्मा का सगा भाई है । इस कारण उक्त भूमि पर जन्म से हक अधिकार निहित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 रघुनन्दन ने दिनांक 30.05.1970 को वादी के विरूद्ध एक वाद उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष वाद संख्या 178/1970 पेश किया जिसमें वादी ने उक्त भूमि को पैतृक सम्पत्ति स्वीकार करते हुए प्रतिवादी कम 01 रघुनन्दन को अपना भाई स्वीकार करते हुए उक्त भूमि में प्रतिवादी रघुनन्दन का हक अधिकार स्वीकार करते हुए दिनांक 28.08.1970 को इकबालिया जवाब एंव राजीनामा पेश किया जिसके आधार पर उक्त भूमि बंटवारे में प्रतिवादी कम 01 रघुनन्दन को दी गई । उपखण्ड अधिकारी, बून्दी का निर्णय दिनांक 28.09.1970 एवं डिक्री दिनांक 19.11.1970 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा

निरस्त नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपील संख्या 13/1998 मेघवान बनाम स्टेट माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई थी जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 05.08.1998 के द्वारा खारिज कर दिया गया । दिनांक 05.08.1998 के निर्णय से यह जाहिर नहीं होता है कि 28.09.1970 के निर्णय को निरस्त किया है । वादी अपीलान्ट द्वारा अब लगभग 36 वर्ष बाद वादग्रस्त आराजी को लेकर न्यायालय के समक्ष समान हितबद्ध पक्षकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने तनकी संख्या 02 के निर्णय के सम्बन्ध में कथन किया कि राजीनामे के आधार पर जारी डिक्री में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है तथा इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने एआईआर 1967 पेज 591 न्यायिक दृष्टांत पेश किया । हमने तनकी नम्बर 02 का अवलोकन किया जो इस प्रकार से है :– "आया कि वाद संख्या 178 सन् 1970 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी का निर्णय दिनांक 28.09.1970 पक्षकारों के मध्य पूर्व न्याय का प्रभाव रखता है अथवा वाद संख्या 178 सन् 1970 में राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण ने पेश किया था जिसके आधार पर निर्णय व डिक्री प्रदान की गई थी उससे वादी इंकार करने से विबन्धित है ।" परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28.09.1970 राजीनामे के आधार पर पारित किया है उक्त राजीनामे को पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक करने के उपरान्त निर्णय पारित किया है । ऐसी स्थिति में पूर्व न्याय से प्रभावित होने के साथ–साथ अपीलान्ट द्वारा चैतन्यपूर्वक किये गये राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 28.09.1970 की अपील विधिक रूप से सही नहीं है । तनकी नम्बर 02 भागतः इस प्रकार है :– "अथवा वाद संख्या 178 सन् 1970 में राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण ने पेश किया था जिसके आधार पर निर्णय व डिक्री प्रदान की गई थी उससे वादी इंकार करने से विबन्धित है ।" चूँकि अपीलान्ट के पिता व पति पूर्व में ही चैतन्यपूर्वक राजीनामे के आधार पर सक्षम न्यायालय से निर्णय करवा चुके हैं, अतः लगभग 36 वर्ष बाद पुनः उन्हीं पक्षकारों के विरूद्ध उसी विवादित आराजी को लेकर वाद प्रस्तुत करना विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है । अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष उचित ही निर्णित की गई है । इस वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में ही राजीनामा के आधार पर पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय कर दिये हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए पारिवारिक समझौते का उल्लंघन हुआ है । परन्तु पारिवारिक समणैते सम्बन्धी कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/31

1. मेघवाहन शर्मा आत्मज श्री शिवराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नित्यानन्द जी वैद्य की गली बालचन्द पाडा बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. इन्द्रा शर्मा पत्नी स्व0 श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नित्यानन्द जी वैद्य की गली बालचन्द पाडा बून्दी ।
   1/2. विनिता शर्मा पुत्री श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 60 देहली गेट के अन्दर उदयपुर ।
   1/3. नितिन शर्मा आत्मज श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   1/4. निखिल शर्मा आत्मज श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   1/5. निशान्त शर्मा आत्मज श्री मेघवाहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीगण नित्यानन्द जी वैद्य की गली बालचन्द पाडा बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. रघुनन्दन शर्मा आत्मज श्री शिवराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बालचन्द पाडा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती रक्षा शर्मा बेवा श्री रघुनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   1/2. अभिजीत शर्मा आत्मज श्री रघुनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   1/3. इक्षवाकू शर्मा आत्मज श्री रघुनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीगण सूरज जी के बड के पास बालचन्द पाडा बून्दी ।
   1/4. अस्मिता भट्ट पत्नी श्री हिमांशु भट्ट पुत्री श्री रघुनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण निवीस सी– 439 विवेकानन्द कॉलोनी उज्जैन हाल बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बून्दी ।
3. उप पंजीयक उप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. नरेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष आत्मज श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय दबलाना जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

255 / दावा / 2006

मेघवाहन शर्मा आत्मज श्री शिवराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नित्यानन्द जी वैद्य की गली बालचन्द पाडा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

----वादी

बनाम

1. रघुनन्दन शर्मा आत्मज श्री शिवराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बालचन्द पाडा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बून्दी ।
3. उप पंजीयक उप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. नरेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष आत्मज श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.07.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/4 की ओर से अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा